12.6.17. पत्रावली "न्याय आपके द्वार" शिविर दौलतपुरा में प्रस्तुत हुई। प्रकरण में मूल वाद का निर्णय हो जाने से धारा निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर रेकर्ड से भेजा जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner